

संगीत
रजिस्टर्ड - डाक

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल-25, रामगंगा विहार-प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेडियम, कॉठ रोड, मुरादाबाद-दूरभाष संख्या-0591-2450066)
पत्रांक - 23/3/14-1 दिनांक, मुरादाबाद, अप्रैल, 19 2018

सेवा में,

✓ चीफ डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर,
इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०,
ख्वाजा फिलिंग स्टेशन के पीछे,
एन०एच०-24 पाकबड़ा,
मुरादाबाद,।

विषय-

मुरादाबाद-सम्भल मार्ग कि०मी० 16 से 17 के मध्य बॉयी पटरी पर ग्राम नसीरपुर कुन्दरकी तहसील बिलारी के खसरा सं०-132 में आई०ओ०सी०एल० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075629 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 03 वृक्ष पातन के सम्बंध में।
उ०प्र० शासन की पत्र सं०-पी-23/14-2-2018-800(24)/2018 दि० 05-04-2018.

संदर्भ:-

महोदय,


उपरोक्त संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में उ०प्र० शासन के उक्त संदर्भित पत्र दि० 05-04-2018 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं०-1 से 30 तक के संबंध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-2501/11-सी० दिनांक 24-05-2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० कैम्पा, लखनऊ की पत्र सं०-384/2-37-2 (ई-पेमेन्ट पोर्टल) दि० 14-09-2015 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार वांछित अभिलेख (4 प्रतियों मूल में) तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके-

- (1) वन भूमि के एक्सीलेशन/डी-एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यकता एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईडलाइन्स दि० 24-7-2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले-आउट प्लान के आधार पर होगा।
- (2) सड़क के किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुँचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाय, जिसमें फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।
- (3) फ्यूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1x1.5 मीटर) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।
- (4) प्रस्तावक एजेन्सी के द्वारा सम्पर्क मार्ग, सेप्रेटर आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूर्क वृक्षारोपण (आदि लागू हो) के अतिरिक्त होगा।
- (5) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वन भूमि का क्षेत्रफल किसी दशा में 0.075629 है० से अधिक नहीं होगा।
- (6) इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) आधारित है।
- (7) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) के अनुसार निर्धारित धनराशि रू० (0.075629 है० दर प्रति है० रू० 6,26,000/-) 47345/- की धनराशि का भुगतान ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० कैम्पा लखनऊ के पत्रांक-943/2-37-2(ई-पेमेन्ट पोर्टल) दिनांक 08-12-2017 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार एडहॉक कैम्पा नई दिल्ली के नाम देय हो, की पावती रसीद इस कार्यालय में जमा करनी होगी।
तदुपरान्त पावती की छायाप्रति जमा की धराशि का बैंक ड्राफ्ट /चेक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाय, तत्पश्चात् ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- (8) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली में आनलाईन ई-पोर्टल के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा कराया जायेगा।

कमश- 2 - पर

- (9) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (10) नोडल अधिकारी, उ०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
- (11) प्रस्ताव विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्ताव विभाग फ्लोरा/फॉना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
- (12) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (13) प्रस्तावक विभाग के संबन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे संबन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।
- (14) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
- (15) भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी(पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-जे-11013/41/2006-आई०ए०-11(1), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनुमति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
- (16) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक हो, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (17) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।
- (18) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अपडेटेडिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन०पी०वी० संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।
- (19) प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
- (20) संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि प्रश्नगत वन भूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है।
- (21) प्रश्नगत परियोजना के प्रारम्भ पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त दावों का निस्तारण किया जा चुका है।
- (22) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (23) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (24) इस संबन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 11-7-2014 व 21-8-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- (25) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98 एफसी, दि० 8-7-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (1:च) फाइल में दर्शाया गया हो।
- (26) प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या-एफ०एन० संख्या-11-268/2014 एफसी, दि० 11-7-2014 में नये दिशा-निर्देश के अनुसार परियोजना का ले-आउट प्लान प्रस्तुत करना होगा।

- (27) प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु वांछित धनराशि ₹ 18301/- का भुगतान ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० कैम्पा लखनऊ के पत्रांक-943/2-37-2(ई-पेमेन्ट पोर्टल) दिनांक 08-12-2017 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार एडहॉक कैम्पा, नई दिल्ली के नाम देय हो, की पावती रसीद इस कार्यालय में जमा करनी होगी।
- (28) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संबन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
- (29) प्रस्तावित वन भूमि पर स्थित बाघक वृक्षों का पातन सिर्फ उ०प्र० वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, फ़ैलिंग एवं टान्सपोट्रेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान कराना होगा यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी०, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।
- (30) उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बंधी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तदुपरान्त सुसंगत प्रमाण पत्र के आधार पर ही विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।
- छपान:- बाघक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि (प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-प-105/16-57 (लाट) दि० 23-9-2014 के बिन्दु सं०-2 में हुए संशोधन के अनुसार ₹ 10/- प्रति वृक्ष के आधार पर) 03 वृक्ष दर 10/- ₹ 30 प्रति वृक्ष) ₹ 30/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद के नाम देय हो प्रस्तुत करें। उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या निर्धारित प्रपत्र में एवं वांछित अभिलेख 4 प्रतियों मूल में अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जदुपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।


(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

- पत्रांक (1)/ दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को विषयक क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
 - 2- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
 - 3- लेखा लिपिक, सा०वा० प्रभाग, मुरादाबाद।
 - 4- क्षेत्रीय वन अधिकारी, बिलारी।


(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।